

06-10-20

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया।  
प्राची ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र श्री संगीष कुमार  
प्रीणा तत्कालीन SDO बयान के विरुद्ध पेश किया है।  
इसे श्री संगीष कुमार प्रीणा SDO बयान की स्थानान्तरण  
अन्वय हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्राची काट प्रस्तुत  
यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (INFRUCTUOUS)  
हो जाने के कारण इसी stage पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली केवल शुद्ध होना बाद तकनीक  
दा.द. है।

जिला कलेक्टर  
भरतपुर (गिजो)